न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–309 / 2022 दायर दिनांक 16.03.2021

जीसीएमएस आई0डी0:–2022 / 789

बनैसिंह पुत्र चिरंजी उम्र 75 वर्ष जाति गुर्जर निवासी कांदरौली, तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली. (राज०)।

.– सायल

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली।

–गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी वकील सायल

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी

निर्णय दिनांकः–7-3-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 401 रकबा 62 बीघा 2 बिस्वा वांकेतन ग्राम कांदरौली तहसील हिण्डौन, स्थित थी जिसकी किस्म सिवायचक बारानी थी उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 940 रकया 15.36 है० बांके तन ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी कायम हुये है।

सायल भूमिहीन व्यक्ति है, जिसके पास अपने परिवार का भरण–पोषण करने हेतु पर्याप्त कृषि भूमि नहीं थी, इस कारण प्रार्थी ने उक्त सिवायचक भूमि में से दो बीघा भूमि पर वर्ष 1990 से तदानुसार सम्वत 2043 से कब्जा कर काश्त करना शुरू कर दिया, तब से सायल लगातार उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है, जिसकी खसरा गिरदावरी सायल के नाम दर्ज चली आ रही है. सायल उक्त आराजी की शुरू से पैनल्टी अदा करता चला आ रहा है, उक्त भूमि पर सायल का तन्हा कब्जा है, किसी दीगर व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है. उक्त भूमि कृषि भूमि है जो किसी भी सरकारी संस्था, सड़क आदि के लिये रिजर्व नहीं की गई है, आवंटन एवं नियमन के लिये उपलब्ध है, लेकिन विगत कई वर्षों से आवंटन एवं नियमन का कोई सिविर ग्राम कांदरौली में नहीं लगा है जिसके कारण उक्त भूमि का आवंटन व नियमन सायल के पक्ष में नहीं हो सका है, उक्त भूमि पर सायल का

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:51 IST
Reason: SelfAttested

विगत करीब 32 वर्ष से लगातार शांतिपूर्वक निर्बाध रूप से खुलेआम गैरसायल की जानकारी से कब्जा चला आ रहा है। सायल को कभी उक्त आराजी से बेदखल नही किया गया है. सायल प्रतिवर्ष उक्त आराजी मे गेंहू, सरसो, बाजरा, तिल आदि काश्त कर पैनल्टी अदा करता चला आ रहा है. उक्त आराजी पर सायल का गैरसायल के विरूद्ध होस्टाईल कब्जा विगत 32 वर्ष से लगातार चला आ रहा है. सायल उक्त आराजी का प्रतिकूल टीनेन्ट हो चुका है. अवधि 30 वर्ष है. जो कब्जे के आधार पर कानूनन खातेदार सरकार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे की पूर्ण हो चुकी है. सायल उक्त आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने का अधिकारी है। गैरसायल या अन्य किसी व्यक्ति को सायल का इतनी लम्बी अवधि का कब्जा होने के कारण बेदखल करने का अधिकार नही है. नाही किसी दीगर व्यक्ति को सायल को उक्त आराजी से बेदखल करवाने का अधिकार है।

उक्त आराजी सिवायचक दर्ज होने के कारण सायल से ईर्ष्या व रंजिश रखने वाले लोग आये दिन उच्च अधिकारियों से झूठी शिकायतें करते है, एवं सायल को विधि विरूद्ध तरीके से उक्त आराजी से बेदखल करवाना चाहते है. खसरा नम्बर 940 के वर्तमान मे बटा नम्बर कायम कर रखे है. सायल का कब्जा 940 से बने हाल खसरा नम्बर 940/2 रकबा 50 ऐयर बांके तन ग्राम कांदरौली, तहसील श्रीमहावीरजी पर है सायल उक्त आराजी का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार टीनेन्ट है तथा इस आशय की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है।

सायल ने इस बाबत एक प्रार्थनापत्र दिनांक 28.10. 2022 में श्रीमान तहसीलदार साहब श्रीमहावीरजी के यहाँ उपस्थित होकर आराजी हाल खसरा नम्बर 940/2 रकबा 15. 30 हैo बारानी प्रथम में से 50 ऐयर भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु पेश किया तो उन्होने सायल का प्रार्थनापत्र वापस फेंक दिया एवं कहा कि हमें खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधिकार नही है. आप सक्षम न्यायालय एसडीओ साहब हिण्डौन के यहाँ दावा पेश करें, इसलिये सायल को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ [illegible] श्रीमहावीरजी ने सायल को सायल के कब्जे की आरा[illegible] 50 ऐयर बांके तन ग्राम कांदरौली से बेदखल कर[illegible] इसलिये सायल का यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:51 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल तब तक अपनी उक्त हरकतों से बाज नहीं आवेगें जब तक कि उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबद नही फरमा दिया जावेगा, पाबंद न करने की सूरत में गैरसायल अपने उक्त गैरकानूनी मकसद मे कामयाब हो जावेगें जिसकी पूर्ति द्रव्य मे भी संभव नही होगी एवं सायला का दावा पेश करने का मकसद ही फौत हो जावेगा एवं सायलान को हकतलफी होगी। कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुख सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बखूबी रूप से प्रमाणित है।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अम्र के लिए पाबंद फरमाया जावे कि वे सायल को खसरा नम्बर 940/2 रकबा 50 ऐयर बांके तन ग्राम कांदरौली, तहसील श्रीमहावीरजी के उपयोग उपभोग व कब्जा काश्त में सायल को कोई बाधा मजाहमत उत्पन्न नहीं करे, ना किसी अन्य से करावे, सायल को बेदखल नहीं करे, उक्त भूमि को दीगर व्यक्ति या संस्था को आवंटित नहीं करे। सायल को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायल के हक हकूको पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल पेरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा जबाव पेश किया गया जो निम्नानुसार है:-

1. बिन्दु संख्या 1 जबाब अपेक्षित नहीं है।
2. बिन्दु संख्या 2 रिकॉर्ड के मुताबिक कथन स्वीकार है।
3. बिन्दु संख्या 3 सायल का कथन निजी तौर पर है रिकॉर्ड के अभाव में अस्वीकार है।
4. बिन्दु संख्या 4 आराजी सिवाचयक है।
5. बिन्दु संख्या 05 कथन अस्वीकार है। सायल का निजी कथन है।
6. बिन्दु संख्या 06 कथ[illegible] सिवाचयक है जिस पर भू राजस्व अधिनियम 19[illegible] न्यायोचित है।
7. बिन्दु संख्या 07 कानू[illegible]

ग्राम कांदरौली स्थित खसरा न0 940/2 सिवाचयक भूमि है इस भूमि पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है जो न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:51 IST
Reason: SelfAttested

सायल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटो कॉपी रसीद पेनल्टी किता 3, नोटिस तहसीलदार धारा 91, फोटो कॉपी मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2070–73 किता 2, खसरा परिवर्तनशील संवत 2075 किता 2, खसरा परिवर्तनशील संवत 2073 में कुल 1 से 3 तक गोल मोहर सहित, खसरा परिवर्तनशील संवत 2077 किता 2, खसरा परिवर्तनशील 14 गोल मोहर सहित, खसरा परिवर्तनशील संवत 2063, 2065, 2066, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2075 वाके ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायल को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अम्र के लिए पाबद फरमाया जावे कि वे सायल को खसरा नम्बर 940/2 रकबा 50 ऐयर बांके तन ग्राम कांदरौली, तहसील श्रीमहावीरजी के उपयोग उपभोग व कब्जा काश्त में सायल को कोई बाधा मजाहमत उत्पन्न नहीं करने, ना किसी अन्य से कराने, सायल को बेदखल नहीं करने, उक्त भूमि को दीगर व्यक्ति या संस्था को आवंटित नहीं करने। सायल को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करने जिससे सायल के हक हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखनें।गैरसायलान पेरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी ने अपने बहस कथन में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि ग्राम कांदरौली स्थित खसरा न0 940/2 सिवायचयक भूमि है इस भूमि पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है जो न्याय संगत है। इसलिए दावा तथा प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायल पोषनीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि रसीद पेनल्टी किता 3, नोटिस तहसीलदार धारा 91, फोटो कॉपी मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2070–73 किता 2, खसरा परिवर्तनशील संवत 2075 किता 2, खसरा परिवर्तनशील संवत 2073 में कुल 1 से 3 तक गोल मोहर सहित, खसरा परिवर्तनशील संवत 2077 किता 2, खसरा परिवर्तनशील 14 गोल मोहर सहित, खसरा परिवर्तनशील संवत 2063, 2065,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:51 IST
Reason: SelfAttested

2066, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2075 वाके ग्राम कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है एवं उक्त विवादित आराजी राजकीय सिवाचयक भूमि है। सायलान कब्जे के आधार पर खातेदारी लेना चाहता है। जो अस्वीकार है। जिससे प्रकरण में गैरसायल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 7/3/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:52:51 IST
Reason: SelfAttested